

फा.सं. एनसीटीई रेगु.011/326/2017-अ.स.(विनियम)-मु.  
**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद**  
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)  
हंस भवन, विंग-II, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002  
वेबसाइट: [www.ncte-india.org](http://www.ncte-india.org)

20 मई, 2019

**सार्वजनिक सूचना**


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को देश में (जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर) अध्यापक शिक्षा के नियोजित तथा समन्वित विकास करने का अधिदेश प्राप्त है। राअशिप चार वर्षीय दो एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों (आईटीईपी) को प्रवर्तित करने का प्रस्ताव करती है।

2. माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15 मई 2019 के एम.ए. संख्या 982/2019 के अनुसरण में, जो मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य से संबंधित याचिका सिविल संख्या 276/2012 से संबंधित है, इसके अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र से परामर्श करके मौजूदा केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजों सहित स्थापित निजी विश्वविद्यालयों से निम्नलिखित राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए 03 जून, 2019 से 31 जुलाई, 2019 के मध्य निम्नलिखित कार्यक्रमों हेतु मान्यता/अनुमति की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया है:

पाठ्यक्रम का नाम	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र जिनसे ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे
क. चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक)	हरियाणा, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, दिल्ली, राजस्थान (अनुबंध-'ए' के अनुसार 64 तहसीलों में)
ख. चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (उच्च-प्राथमिक से माध्यमिक)	तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, कर्नाटक, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, राजस्थान (अनुबंध-'ए' के अनुसार 64 तहसीलों में)

3. आवेदक संस्थान/विश्वविद्यालय अपेक्षित दस्तावेजों सहित तथा जिसमें आवश्यक रूप से संबंधित राज्य सरकार/केन्द्रशासित क्षेत्र प्रशासन की औपचारिक संस्तुति भी हो, इन सबके साथ आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत करें।

4. उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के लिए केवल वे संस्थान ही पात्र होंगे, जिन्हें आवेदन करने की तिथि को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2019 में संशोधित विनियम परिशिष्ट 16 तथा 17 के अनुच्छेद 1.2 के अन्तर्गत (मान्यता, मानक एवं क्रियाविधि) पारिभाषित किया गया है। तदनुसार उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने हेतु केवल विश्वविद्यालय तथा डिग्री कॉलेज ही पात्र हैं।



सदस्य सचिव  
20 मई, 2019

संजय अवस्था (आई.आर.एस.)  
Sanjay Awasthi (I.R.S.)  
सदस्य सचिव  
Member Secretary  
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  
National Council for Teacher Education  
भारत सरकार/Govt. of India  
हंस भवन, खण्ड-2/Hans Bhawan, Wing-II  
1, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2  
1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-2

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान की उन 64 तहसीलों की सूची, जहां राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के दिनांक 6 फरवरी, 2019 के आदेश के अनुसार वर्ष 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों (आईटीईपी) की अनुमति दी जाएगी।

Sl. No.	Districts	Tehsils
1.	Ajmer	1. Arai 2. Bhinay 3. Tantaoti 4. Tatgarh 5. Masuda
2.	Banswara	6. Abapura 7. Chhoti Sarvan 8. Gagadtalai 9. Arthoona (अर्थूना)
3.	Baran	10. Chabbra 11. Chhipabarod
4.	Barmer	12. Baytoo 13. Gadra Road 14. Gida 15. Sheo (Shiv) 16. Dhanu (धनाऊ)
5.	Bharatpur	17. Pahari 18. Uchchain (उच्चैन)
6.	Bhilwara	19. Badnor 20. Baneda 21. Kotadi 22. Phulia Kalan 23. Raipur 24. Sahada (HQ Gangapur)
7.	Bikaner	25. Bajju (बज्जू)
8.	Bundi	26. Keshroaipatan 27. Nainwa
9.	Chittorgarh	28. Begun 29. Nimbahera
10.	Dholpur	30. Rajakhera
11.	Dungarpur	31. Bicchiwara 32. Chikli 33. Jhothari 34. Sabla
12.	Shri Ganganagar	35. Rawala (रावला)
13.	Jaipur	36. Pawata (पावटा)
14.	Jhalawar	37. Gangadhar 38. Manoharthana 39. Sunel (सुनेल) 40. Bakani (बकानी) 41. Raipur (रायपुर) 42. Dug (डग)

सं. ०५७२५५

15.	Jodhpur	43.	Baap
		44.	Bawari
		45.	Bapini (बापिणी)
		46.	Dechu (देचू)
		47.	Shekhala (शेखाला)
16.	Karauli	48.	Mandrayal
17.	Pali	49.	Sojat
18.	Pratapgarh	50.	Arnod
		51.	Pipal Khunt
19.	Rajasmand	52.	Bhim
		53.	Gadbor
		54.	Khamnor
		55.	Kumbhalgarh
		56.	Kunwaria (कुवारिया)
20.	S. Madhopur	57.	Bamanwas
		58.	Khandar
		59.	Malarna Dunger
		60.	Vazirpur
21.	Udaipur	61.	Kotara
		62.	Lasadiya
		63.	Sarada
		64.	Semari

संजय अवस्थी

संजय अवस्थी (आई.आर.एस.)  
 Sanjay Awasthi (I.R.S.)  
 सदस्य सचिव  
 Member Secretary  
 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
 National Council for Teacher Education  
 भारत सरकार / Govt. of India  
 हंस भवन, खण्ड-2 / Hans Bhawan, Wing-II  
 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-2